

UPSI180000322008



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-118/ 2008

उत्तर प्रदेश राज्यअभियोजक।

बनाम

1. सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद अली,
2. मैनुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली,
3. अजीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली,
4. कमरुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली,

सर्व निवासीगण ग्राम पैगम्बरपुर, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या-238/ 2007

धारा-323,325,504,506 भा०दं०सं०,

थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते हा०मु० नियत है। पुलिस थाना रामपुर मथुरा द्वारा अभियुक्तगण सलाउद्दीन, मैनुद्दीन, अजीमुद्दीन एवं कमरुद्दीन के विरुद्ध अपराध संख्या-238/ 2007, धारा-323,325,504,506 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी रफीउद्दीन द्वारा थाने पर इस आशय की जुबानी सूचना दी गयी कि, “मैं और विपक्षीगण आपस में पट्टीदार हैं। विपक्षी का लड़का मेरे दरवाजे पर पेशाब कर रहा था। मैंने उसे पेशाब करने से मना किया और कहा कि यहाँ दरवाजे के सामने पेशाब मत किया करो तो विपक्षीगण कहने लगे कि यहाँ तुम्हारा दरवाजा नहीं है, गलियारे में पेशाब कर रहा है। इसी बात को लेकर विपक्षीगण गाली-गलौज करते हुए लाठी से मारा और कहा कि यदि दोबारा बात की तो तुम्हें जान से मार डालूंगा।”
3. अभियुक्तगण सलाउद्दीन, मैनुद्दीन, अजीमुद्दीन एवं कमरुद्दीन की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमे के निस्तारण की याचना की गयी है।
4. अभियुक्तगण का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उन्होंने घटना को स्वीकार किया तथा अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार करना कहा।
5. अभियुक्तगण द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उनके विरुद्ध धारा-323,325,504,506 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित है। अतः अभियुक्तगण जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण को धारा-323,325,504,506 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच वाद पेश हो।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,

महमूदाबाद-सीतापुर।

J.O. Code-UP3474

लंच पश्चात् पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं। वे घर के अकेले कमाने वाले हैं। अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया है।

अभियुक्तगण की ओर से व्यक्तिगत रूप से कथन किया गया कि वे अपने घर के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं एवं वे गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उक्त पत्रावली वर्ष 2008 से न्यायालय के समक्ष लम्बित है। अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं तथा वे गरीब मजदूरी पेशा हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण सलाउद्दीन, मैनुद्दीन, अजीमुद्दीन एवं कमरुद्दीन प्रत्येक को अपराध संख्या-238/2007, धारा-323,325,504,506 भारतीय दंड संहिता थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की धारा-323 भारतीय दंड संहिता में रु० 200/- (दो सौ रुपये), धारा-325 भारतीय दंड संहिता में रु० 700/- (सात सौ रुपये), धारा-504 भारतीय दंड संहिता में रु० 300/- (तीन सौ रुपये) तथा धारा-506 भारतीय दंड संहिता में रु० 300/- (तीन सौ रुपये) कुल रु० 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न किये जाने पर उन्हें 20 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-09.05.2026

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।

J.O. Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-09.05.2026

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।

J.O. Code-UP3474

विजय सौर्य
(स्टेनो)